# (TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE-EXTRAORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DIRECTORATE OF EDUCATION, OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

No. F.15(1615)/PSB/2023/EWS/Notification/ 6505 - 6519

Dated 12/11/24

#### **NOTIFICATION**

The Delhi School Education (Free Seats for students belonging to Economically Weaker Sections and Disadvantaged Group) Order, 2011, was published vide Notification. No. 15(172)/DE/Act/2010/69 dated 07.01.2011;

Whereas, in compliance of the Hon'ble High Court, Delhi judgement dated 07.10.2013 passed in W.P. (C) No. 3168/2013 titled Himangi Vs. GNCT of Delhi, the clause 2 (c) of the order dated 07.01.2011 was amended to the extent that the phrase "for the last three years" appearing in the expression "Child belonging to weaker sections" was removed vide Circular No. DE-15/Act- I/WPC No. 3168/13/2013/11734-11738 dated 14.11.2013;

Whereas, vide judgement dated 05.12.2023 passed in W.P. (C) No. 4006/2021 titled Master Singham Vs. Directorate of Education & Anr., the Hon'ble High Court of Delhi directed to increase the required income under Clause 2 (c) of order dated 07.01.2011 to Rs. 5 lakhs instead of Rs 1 lakh;

Whereas, vide order dated 05.03.2024 passed in L.PA No. 120/2024, titled as Directorate of Education Vs. Master Singham & Anr., preferred by Directorate of Education, the directions in Para-119 of the impugned judgement dated 05.12.2023 in W. P. (C) No. 4006/2021 has been stayed and the threshold income for admission under EWS in interregnum is directed to be increased to Rs. 2.5 lakhs.

Therefore, in compliance of said directions of Hon'ble High Court of Delhi and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Delhi School Education Act, 1973 (18 of 1973) read with rule 43 of the Delhi School Education Rules, 1973 and under the provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, the Hon'ble Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to amend the Delhi School Education (Free Seats for students belonging to Economically Weaker Sections and Disadvantaged Group) Order, 2011, as under-

"In sub-clause (c) of clause 2 of the Delhi School Education (Free Seats for students belonging to Economically Weaker Sections and Disadvantaged Group) Order 2011, the words "means a child whose parents have total annual income of less than one lakh rupees from all sources and who have been staying in Delhi for the last three years" shall be

A Semi

substituted with "means a child whose parents have total annual income of less than two lakh and fifty thousand rupees from all sources and who have been staying in Delhi"

The notification shall come into force on the date of its publication in the Delhi Gazette.

By order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

FULLY

(SHINGARE RAMCHANDRA MAHADEV)
ADDL. SECRETARY (EDUCATION)

No. F.15(1615)/PSB/2023/EWS/Notification/ 6505-6519

Dated 12/11/24

Copy forwarded for necessary action to:

- 1. Secretary, Ministry of Education, Govt. of India.
- 2. Principal Secretary, Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi
- 3. Principal Secretary, Chief Minister, Govt. of National capital Territory of Delhi.
- 4. Secretary, Minister (Education), Govt. of National Capital Territory of Delhi.
- 5. OSD, Chief Secretary, Govt. of National Capital Territory of Delhi
- 6. Secretary Divisional Commissioner. Department of Revenue, Govt of NCT of Delhi.
- 7. Secretary (Education), Govt. of National Capital Territory of Delhi.
- 8. Director (Education), Govt. of National Capital Territory of Delhi.
- 9. Director (Education), Municipal Corporation of Delhi.
- 10. Director (Education), New Delhi Municipal Council, Delhi.
- 11. CEO, Delhi Cantonment Board.
- 12. Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
- 13. All Additional Director/Regional Director of Education/Joint Director of Education/Assistant Director of Education/Deputy Director of Education, Govt. of NCT of Delhi
- 14. All Branch in-Charge. Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi.
- 15. In-charge (Computer Cell) with the request to upload the notification on website of Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi.

16. Guard File.

(SHINGARE RAMCHANDRA MAHADEV)
ADDL. SECRETARY (EDUCATION)

# (दिल्ली राजपत्र - भाग IV असाधारण के में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सं. एफ.15(1615)/पीएसबी/2023/ईडब्ल्यूएस/अधिसूचना/6505-6519

दिनांक 12/11/24

## <u>अधिसूचना</u>

दिल्ली स्कूल शिक्षा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूह के छात्रों के लिए निःशुल्क सीटें) आदेश, 2011, अधिसूचना संख्या 15 (172)/डीई/एक्ट/2010/69 दिनांक 07.01.2011 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

जबिक, माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा डब्लू.पी. (सी). संख्या 3168/2013 शीर्षक हिमांगी बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में पारित फैसला दिनांक 07.10.2023 के अनुपालन में, आदेश दिनांक 07.01.2011 की अधिसूचना के खंड 2 (ग) जो "कमजोर वर्गों से संबंधित बच्चें" को अभिव्यक्ति करता हैं, उसके वाक्यांश "पिछले तीन वर्षों के लिए" को परिपत्र संख्या डीई. 15/एक्ट-1/डब्लू.पी.सी. संख्या 3168/13/2013/11734-11738 दिनांक 14.11.2013 द्वारा हटा दिया गया था।

जबिक, माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा डब्लू.पी. (सी) संख्या 4006/2021 शीर्षक मास्टर सिंघम बनाम शिक्षा निदेशालय एवं अन्य, में पारित फैसला दिनांक 05.12.2023 के द्वारा, आदेश दिनांक 07.01.2011 के खंड 2 (सी) में तहत आवश्यक आय को बढ़ाकर एक लाख रूपये की जगह पांच लाख रूपये कर दिया गया।

जबिक, माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा एल.पी.ए. संख्या 120/2024 शीर्षक शिक्षा निदेशालय बनाम मास्टर सिंघम एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.03.2024 के द्वारा डब्लू.पी. (सी). संख्या 4006/2021 में पारित विवादित फैसला दिनांक 05.12.2013 के पैरा-119 में उल्लेखित निर्देश पर रोक लगा दी गई और ईडब्लूएस के तहत प्रवेश के लिए आय सीमा को बढ़ाकर दो लाख पचास हजार रूपये करने का निर्देश दिया गया।

इसलिए, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों के अनुपालन में और दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 (1973 का 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के नियम 43 के साथ पठित और बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली स्कूल शिक्षा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूह के छात्रों के लिए निःशुल्क सीटें) आदेश, 2011 में निम्नलिखित संशोधन का आदेश करते है, अर्थात्ः-

"दिल्ली स्कूल शिक्षा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित समूह के छात्रों के लिए निःशुल्क सीटें) आदेश, 2011 के खंड 2 के उप-खंड (सी) में, शब्द "मतलब ऐसा बच्चा जिसके माता-पिता की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक



आय एक लाख रूपए से कम हो और जो पिछले तीन वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं' को निम्न से प्रतिस्थापित किया गया है "मतलब ऐसा बच्चा जिसके माता-पिता की सभी सोतों से कुल वार्षिक आय दो लाख पचास हजार रूपये से कम है और जो दिल्ली में रह रहे है।"

यह अधिसूचना दिल्ली राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश और नाम से,

> (शिंगारे रामचंद्र महादेव) अतिरिक्त शिक्षा सचिव

## सं. एफ.15(1615)/पीएसबी/2023/ईडब्ल्यूएस/अधिसूचना/6505-6519

दिनांक 12/11/24

आवश्यक कार्रवाई हेत् प्रतिलिपि अग्रेषितः

- 1. सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
- 2. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
- 3. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 4. सचिव, मंत्री (शिक्षा), सरकार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।
- 5. ओएसडी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
- 6. सचिव संभागीय आयुक्त। राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार।
- 7. सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- निदेशक (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 9. निदेशक (शिक्षा), दिल्ली नगर निगम।
- 10. निदेशक (शिक्षा), नई दिल्ली नगर परिषद, दिल्ली।
- 11. सीईओ, दिल्ली छावनी बोर्ड।
- 12. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 13. समस्त अतिरिक्त निदेशक/क्षेत्रीय निदेशक शिक्षा /संयुक्त निदेशक शिक्षा/ सहायक निदेशक शिक्षा /उप शिक्षा निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
- 14. समस्त शाखा प्रभारी। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
- 15. प्रभारी (कम्प्यूटर सेल) को शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करने अनुरोध सहित।

16. गार्ड फाइल।

(शिंगारे रामचंद्र महादेव) अतिरिक्त शिक्षा सचिव